Court No. - 68

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 41737 of 2022

Applicant :- Zia Uddin @ Parvez Alam
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Mushir Khan
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Shekhar Kumar Yadav,J.

यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 द्र0 प्र0 सं0, आवेदक की ओर से सत्र दाण्डिक वाद संख्या 1396 वर्ष 2019, (राज्य प्रति जीशान), मुकदमा अपराध संख्या 618ए वर्ष 2013, अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा0 दं0 सं0 थाना खेता संराय, जिला जौनपुर में प्रेषित आरोप पत्र दिनांकित 19–9–2013 तथा उक्त वाद में पारित प्रसंज्ञान आदेश/तलबी आदेश दिनांक 20–12–2023 को निरस्त करने हेतु योजित किया गया है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को राज्य की ओर से सुना एवं प्रश्नगत आदेश एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान इस प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल शपथपत्र के प्रस्तर 7 की ओर आकृष्ट किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत तलबी आदेश के सम्बंध में आवेदक को कोई जानकारी नहीं थी और उस अवधि में आवेदक सऊदी अरब में निवास कर रहा था। यह भी कथन किया गया कि वर्ष 2016 में वादी की मृत्यु हो गयी है इसलिए आज तक कोई आरोप विरचित नहीं किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश विधि संगत नहीं है एवं निरस्त होने योग्य है।

इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया कि इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा थाने पर दर्ज करायी गयी है। विवेचनाधिकारी ने विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आवेदक के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया है तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत प्रसंज्ञान/तलबी आदेश पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं है। यह भी कथन किया गया कि यह क्रास केस है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी ने आवेदक के विरूद्व धारा 147, 149, 323, 504, 506, 452 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। विवेचनाधिकारी ने विवेचना के दौरान वादी तथा गवाहान का बयान अंकित कर तथा साक्ष्य संकलित कर आवेदक के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/UPHC012470792022/truecopy/order-1.pdf

उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं अभिलेखों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि आवेदक के विरूद्व धारा 323, 325, 504, 506 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक को उक्त अपराध के लिए तलब किया है जिसमें मेरे विचार से कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं पायी जाती है।

प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया जाता है तदनुसार यह आवेदन पत्र बलहीन है एवं निरस्त होने योग्य है।

तदनुसार यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 दं0 प्र0 सं0 **निरस्त** किया जाता है

Order Date :- 22.2.2023
A.

Digitally signed by :-
AFAQ AHMAD
High Court of Judicature at Allahabad
This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/UPHC012470792022/truecopy/order-1.pdf